अनुबंध 1

एफएनसी

भारत में शाखा/संपर्क कार्यालय की स्थापना के लिए आवेदन पत्र

ए. आवेदकों के लिए सामान्य अनुदेश :

आवेदक को आवेदन फॉर्म पूर्ण भरना चाहिए और घोषणा की मद (viii) में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ उसे महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय कक्ष, भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय, 6, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को प्रेषित किये जाने के लिए **नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक** को प्रस्तुत करना चाहिए।

क्र.सं.	**ब्योरे**	**विवरण**
1.	आवेदक का पूर्ण नाम और पता निगमन/पंजीकरण की तारीख और स्थान टेलीफोन संख्या फैक्स संख्या ई-मेल आइडी	
2.	i. प्रदत्त पूंजी ii. पिछले लेखापरीक्षित तुलन पत्र/वित्तीय विवरण के अनुसार निर्बंध प्रारक्षित निधियां/प्रतिधारित आय iii. अमूर्त परिसंपत्तियां, यदि कोई हों	
3.	आवेदक के कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण	
4.	i) आवेदक द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भारत को /से आयातित और/अथवा निर्यातित माल की कीमत ए) भारत से आयात बी) भारत को निर्यात ii) भारत में कंपनी का प्रतिनिधित्व करने के लिए मौजूदा व्यवस्था के ब्योरे, यदि कोई हों iii) प्रस्तावित संपर्क/शाखा कार्यालय के ब्योरे: ए) कार्यालय द्वारा की जानेवाली/प्रदान की जानेवाली प्रस्तावित गतिविधियों/सेवाओं के ब्योरे बी) कार्यालय का स्थान सी) फोन नंबर डी) ई-मेल आइडी	

	ई) कर्मचारियों की प्रत्याशित संख्या (विदेशियों की संख्या के साथ)	
5.	i) अपने (मेजबान) देश में आवेदक के बैंकर का नाम और पता ii) टेलीफोन और फैक्स संख्या iii) ई-मेल आइडी	
6.	कोई अन्य जानकारी जो आवेदक कंपनी इस आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत करना चाहती है	
7.	लाभ रहित/गैर सरकारी सगठनों के लिए: i) आवेदक संगठन द्वारा मेजबान देश और अन्य देशों में किये जाने वाले कार्यकलापों के ब्योरे ii) भारत में परिचालनों के लिए निधीयन का अपेक्षित स्तर iii) संगठन के उप-नियमों, संस्था के अंतर्नियमों की प्रतियां	

घोषणापत्र

हम एतद्द्वारा घोषित करते हैं कि:

i. उपर्युक्त में दिये गये ब्योरे मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और सत्य हैं।

ii. भारत में हमारे कार्यकलाप उपर्युक्त मद 4(iii)(ए) में दर्शाये गये कार्यकलापों तक सीमित होंगे।

iii. यदि हम कार्यालय शहर में ही दूसरी जगह अंतरित करते हैं तो हम नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक और रिज़र्व बैंक को उसकी सूचना देंगे। भारत में किसी दूसरे शहर में कार्यालय अंतरित करते समय रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त कर लिया जाएगा।

iv. हम भारत सरकार/रिज़र्व बैंक/प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक द्वारा, समय समय पर, निर्धारित शर्तों का पालन करेंगे ।

v. हम एतद्द्वारा प्रतिबद्ध हैं कि हम भारत सरकार/रिज़र्व बैंक द्वारा विदेश में हमारे बैंकर से मांगी गयी रिपोर्ट/अभिमत देंगे।

vi हम समझते हैं कि अनुमोदन, यदि प्रदान किया जाता है, तो केवल फेमा की दृष्टिकोण से है/होगा। किसी अन्य सरकारी प्राधिकारी/विभाग/मंत्रालय से कोई अन्य अनुमोदन/सांविधिक अथवा

अन्यथा मंजूरी (क्लिअरन्स) आवश्यक है तो भारत में परिचालन शुरू करने से पहले प्राप्त कर लिया जाएगा।

vii. रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदन के ब्योरे पब्लिक डोमेन पर रखने के संबंध में हमें कोई आपत्ति नहीं है।

viii. हम निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करते हैं:

1. पंजीकरण के देश में नोटरी पब्लिक द्वारा साक्ष्यांकित निगमन/पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि

[यदि मूल प्रमाणपत्र अंग्रेजी से भिन्न किसी अन्य भाषा में है तो उसे अंग्रेजी में अनूदित और उपर्युक्त के अनुसार नोटराइज्ड किया जाएगा और अपने देश में भारतीय दूतावास/वाणिज्य दूतावास द्वारा प्रति सत्यापित/साक्ष्यांकित किया जाए]।

2. आवेदक कंपनी का अद्यतन लेखापरिक्षित तुलन पत्र।

[यदि आवेदक के अपने देश के कानून/विनियम लेखों की लेखापरीक्षा पर जोर नहीं देते हैं तो निवल मालियत स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए सर्टिफाइड पब्लिक एकाउंटंट (सीपीए) अथवा किसी नाम से पंजीकृत लेखा व्यावसायिक द्वारा प्रमाणित लेखा विवरण प्रस्तुत किया जाए]।

3. मेजबान देश/पंजीकरण के देश में आवेदक के बैंकर से आवेदक के बैंक के साथ बैंकिंग संबंधों के वर्षों की संख्या दर्शाते हुए बैंकर की रिपोर्ट।

(आवेदक कंपनी के प्राधिकृत
अधिकारी के हस्ताक्षर)

नाम:----------

पदनाम--------

स्थान :
दिनांक: